संख्या–3139 /26–3–2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/
माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 20 अगस्त : 2010

विषयः–अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आय प्रमाण–पत्रों की जॉच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिये जाने हेतु उनके अभिभावकों की आय सीमा निर्धारित की गयी है। उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए कई छात्रों/अभिभावकों द्वारा अपनी वास्तविक आय को छुपाते हुए योजना का गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी एवं अमान्य आय प्रमाण–पत्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के फार्म के साथ लगाये जाने के कतिपय प्रकरण प्रकाश में आयें हैं, जिससे जनहित में चलाई जा रही इस अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना का लाभ अपात्र छात्रों को मिल जाता है तथा शासकीय धनराशि का दुरूपयोग होता है।

2– अतएव कृपया इस महत्वपूर्ण योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु पात्र छात्रों को समयान्तर्गत शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिये जाने हेतु तथा अपात्र छात्रों द्वारा इस सुविधा का दुरूपयोग रोकने हेतु बोर्ड आफ रेवेन्यू की वेवसाइट (bor.up.nic.in) पर उपलब्ध प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था के अंतर्गत आय प्रमाण–पत्रों का शत– प्रतिशत सत्यापन/जॉच कराकर पात्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ प्रदान किया जाय। इस व्यवस्था के संबंध में आप कृपया अपने अधीन समस्त विद्यालयों/कालेजों एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे विद्यालय/संस्था स्तर पर ही फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच

की जा सके एवं ऐसे प्रमाण पत्रों पर प्रभावी रोक लग सके। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त

संख्या– 3139 (1)/26–3–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
7. निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त

S 0-G0